रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

क्र./कु.स./2020/कुलपति कार्यालय/171 जबलपुर, दिनांकः 26/07/2020

कार्यालयीन आदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर में एक महिला संक्रमित पाई गई है। इसके कारण रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एवं कर्मचारियों की मांग पर कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आज दिनांक 26.07.2020 को आयोजित ऑनलाइन बैठक में लिये गये निर्णयानुसार छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं उनके परिवारजनो के कोरोना संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये एहतियात के तौर पर निम्न बिन्दुओं का पालन करने के निर्देशा जारी किये जाते हैं –

1. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय एवं अध्ययनशालायें दिनांक 27.07.2020 से 31.07.2020 तक पूर्णतः बंद रहेगा। उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी अपने–अपने घर (वर्क फ्रॉम होम) से कार्य करेंगे तथा अपने मोबाइल/दूरभाष पर अनिवार्य रूप से विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख के संपर्क में रहेंगे। अति आवश्यक कार्य होने पर विश्वविद्यालय बुलाया जा सकेगा।
2. विश्वविद्यालय के सभी गेट बन्द रहेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा।
3. संक्रमित महिला तथा उनके परिवार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति अपने घर में क्वारंटाइन रहेंगे। आने वाले दिनों में परिवार के किसी सदस्य तथा परिवार के संपर्क में आने वाले व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई दे तो वे तत्काल विश्वविद्यालय स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करावेंगे।
4. कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के संबंध में समय–समय पर स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाना अनिवार्य होगा। निर्देशों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आदेशानुसार,

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ.क्र./कु.स./2020/कुलपति कार्यालय/171 'अ' जबलपुर, दिनांकः 26/07/2020

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> –

1. कलेक्टर, जिला–जबलपुर (म.प्र.)।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला–जबलपुर (म.प्र.)।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर (म.प्र.)।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, शिक्षण विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
5. समस्त प्राचार्य, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय।
6. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
7. परीक्षा नियंत्रक/वित्त नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
8. प्रभारी जनसम्पर्क प्रकोष्ठ/मीडिया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सेन्टर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।
10. प्रभारी, सफाई एवं सुरक्षा को इस निर्देश के साथ कि वे नगर निगम प्रशासन से संपर्क कर परिसर सेनेटाइज कराने तथा विश्वविद्यालय स्तर पर परिसर के सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करे।
11. कुलपति जी/कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)।

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर